

## कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी वेतना केन्द्र, अनूपगढ़ रोड, छेत्र, अलीगढ़, पिन-202001 \* ई-मेल: cfaligarh@gmail.com

पत्रांक 1939/14-1, दिनांक: अलीगढ़: जनवरी 05, 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद एटा में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित टूण्डला-एटा मार्ग एस0एच0-31 के किमी0 26.088 की चौथी पटरी पर ग्राम-बावरपुर के खसरा सं0-988, तहसील-जलेसर, जिला-एटा उ0प्र0 में नवीन रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु 0.092976 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 1221/एटा-13615/दिनांक 04.12.2015  
महोदय,

संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित आपत्ति के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के आगम एवं निर्गम मार्ग का निर्माण किया जायेगा तथा इनके मध्य पड़ने वाले बफर जोन को संरक्षित रखने हेतु किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। इस तरह से बफर जोन में अवस्थित वृक्षों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्ताव के साथ संलग्नक 29 लेआउट प्लान जो कि लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत है के अनुसार निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

भवदीय



(आलोक कुमार श्रीवास्तव)

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14-1, समदिनांकित।

- 1- प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को उनके पत्रांक 1262/14-1, दिनांक 26.12.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि-डिवीजनल मैनेजर (यू0पी0 वेस्ट) एस्सार आयल लिमिटेड, ए-5, सैक्टर-3, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।